न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/201

आनन्दीलाल आत्मज श्री मूलचन्द जी जाति बैरवा निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

——अपीलान्ट

बनाम

1. मांगी बाई पुत्री श्री मूलचन्द जी पत्नी उमाशंकर जी जाति बैरवा निवासी डूंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राजस्थान
2. रामस्वरूप आत्मज श्री मूलचन्द जी जाति बैरवा निवासी ग्राम बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
3. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा, राजस्थान

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 व 02 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 04.08.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद, जिला कोटा द्वारा वाद सं0 50/09 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी की खसरा नं0 811 रकबा 1.52 हे0 खाता सं0 नई 386 व पुरानी 566 तथा खाता सं0 389 (नया) 341 (पुराना) खसरा नं0 1051 रकबा 1.93 हे0 खसरा नं0 1136 रकबा 0.55 हे0, खसरा नं0 1137 रकबा 0.03 हे0 कुल 4 किता की कुल रकबा 4.03 हे0 आराजी स्थित है। उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में रेस्पो0 कम 01 के पिता प्रतिवादी कम 01 के खाते दर्ज है, नकल जमाबंदी 2059 से 2062 संलग्न हैं। उपरोक्त भूमि वादी के पिता व प्रतिवादी कम 01 के खाते दर्ज है, प्रतिवादी कम 01 के खाते में उपरोक्त भूमि का कुछ हिस्सा ता एलोट हुआ है, तथा शेष आराजी संयुक्त परिवार की कमाई से खरीद की है, इस कारण उपरोक्त भूमि में वादी का भी 1/5 हिस्सा निहित है। वादपत्र में वर्णित भूमि को प्रतिवादी रेस्पो0 कम 01, प्रतिवादी नं 0 02 व 04 के बहकावे में आकर सम्पूर्ण भूमि

को प्रतिवादी कम 01 के खाते दर्ज कराना चाहता है। जबकि वाद पत्र में वर्णित भूमि का पुश्तैनी होने के कारण वादी 1/5 हिस्से का अधिकारी है, तथा राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्से में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है व खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी कम 01 का पुत्र, प्रतिवादी कम 02, 04 का भाई है, तथा प्रतिवादी कम 03 बहिन है। वादी को उनके हिस्से की भूमि न देकर बिना विभाजन कराये बेचान करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी कम 01 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी कम 01 द्वारा बिना विभाजन कराये तथा बिना वादी का नाम रिकार्ड में दर्ज कराये उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। अतः वादी अपीलांट द्वारा यह वाद प्रतिवादी कम 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर उक्त कृत्य करने से रोकने के लिए यह वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तथा वाद पेश कर यह प्रार्थयना की कि वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी ख0 नं0 811, 1051, 1136, 1137 कुल रकबा 4.03 है0 भूमि वाके ग्राम बडोद तहसील दीगोद में प्रतिवादी कम 01, 02, 03 व 04 के साथ वादी को भी 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त आराजी में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त भूमि का वादी तथा प्रतिवादी के मध्य विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य 1/5 हिस्से की भूमि में से वादी के 1/5 हिस्से की भूमि को अलग खाते में दर्ज किये जाने की डिकी व आज्ञा पारित की जावे। व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी कम 01 बिना विभाजन किये वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित भूमि को अथवा उसके किसी भी हिस्से को विकय, रहन, अंतरण नहीं करे तथा वादी के कब्जे में दखल पैदा नहीं करे।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 04.05.2012 के द्वारा वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.05.2012 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.05.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.05.2012 निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से वकील नियुक्त किया हुआ था तथा उन्होंने आवश्यकता होने पर बुलाने व सूचना देने को कहा था लेकिन वकील साहब के द्वारा कोई सूचना अपीलांट को नहीं मिली। अपीलांट को आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.08.2022 को पटवार हल्का के बताने पर हुई। उक्त प्रकार जानकारी होने पर दिनांक 16.08.2022 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 23.08.2022 को नकल मिली व नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब न्यायालय हाजा में पेश की गई है जो कि सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 14.08.2022 से अवधि मय पेश है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने तारीख निर्णय दिनांक 04.05.2012 सं अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 14.08.2022 तक की डिले कन्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद साक्ष्य के अभाव में खारीज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को वादी को अपना साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए था। ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। उक्त वाद में वादी का पूर्ण हक निहित है तथा उक्त वाद में अपनी साक्ष्य दस्तावेज आदि पेश करने को हमेशा तत्पर रहा लेकिन वकील साहब द्वारा सूचना नहीं मिलने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इस कारण वादी की अनुपस्थिति में उसकी साक्ष्य बंद करके एक पक्षीय रूप से वादी का वाद निस्तारित कर वाद को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय की भी सूचना वकील अपीलांट द्वारा अपीलांट को नहीं दी गयी इसलिए अपीलांट समय पर अपील नहीं कर सका। मेरा धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए। उक्त वाद में प्रतिवादी मूलचन्द की मृत्यु हो गई है। उसके कायम मुकाम रेस्पो0 कम 01 व 02 है। तथा उक्त वाद में आनंदीलाल पुत्र मूलचन्द का नाम गलत अंकित किया गया है। इस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2012(1) पेज 137, आर आर डी 2018 पेज 318, आर आर टी 2022(2) पेज 1193 पेश किये। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2012 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

8. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु वकील नियुक्त करना स्वीकार है। विचारण न्यायालय में पक्षकार की बार बार आवश्यकता पडती है तथा वह निरंतर अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहता है। दावा, जवाब दावा प्रस्तुत करना होता है, बयान भी होते है। अतः पक्षकार का यह दायित्व है कि वह अपने वकील साहब से निरंतर संपर्क में रहे। पक्षकार की लापरवाही का दोष वकील साहब को नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.2012 को निर्णय वादी के वकील साहब की उपस्थिति में पारित किया गया था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

की वादी अपीलांट को पूर्ण जानकारी थी। अपीलांट द्वारा अपील निर्णय होने के 10 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी को साक्ष्य हेतु भी कई अवसर दिए गए तथा कोस्ट पर भी अवसर दिए गए परंतु वादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। सर्वप्रथम प्रकरण में लिमिटेशन एक्ट पर निर्णय किया जाना है। अपीलांट की अपील गंभीर रूप से निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अतः मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत आर. बी. जे. 201 पेज 226, आर आर टी 2022 (2) पेज नं0 1175–1179, 1047–1051, आर. आर. टी. 2009(1) पेज 432–440 पेश किये। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2012 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा दौराने बहस अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 31.05.2005 को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। इसके पश्चात् तनकीयात कायम हुई। साक्ष्य हेतु वादी को कई अवसर अधीनस्थ न्यायालय में दिये गये। आदेशिका दिनांक 16.05.2011 में न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया है। आदेशिका दिनांक 29.11.2011 के अनुसार 100/– रू की कोस्ट पर पुनः साक्ष्य का अंतिम अवसर दिया गया। आदेशिका दिनांक 02.04.2012 के अनुसार 200/– रू की कोस्ट पर पुनः एक अंतिम अवसर वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु दिया गया। इस प्रकार कई अवसरों के पश्चात् भी दिनांक 23.04.2012 को साक्ष्य वादी बंद की गयी। अतः अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें साक्ष्य का अवसर मिलना चाहिए था। अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं कि प्रतिवादी साक्ष्य क्यों बंद की गई? जबकि प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध दिनांक 26.08.2022 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट स्वयं वादी था तथा वादी अधिवक्ता सन् 2005 से 2012 तक लगातार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट को उनके अधिवक्ता ने जानकारी नहीं दी। क्या लगभग 10 वर्षो तक वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद के बारे में कोई जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया? हम इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत, आर. बी. जे. 2021 पेज 226, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान से सहमत है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट वादी स्वयं की लापरवाही को अधिवक्ता पर नहीं थोप सकता। अपीलांट ने धारा 05 लिमिटेशन एक्ट में कथन किया है कि उन्हें प्रश्नगत आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 04.08.2022 को हुई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलांट को प्रारंभ से ही अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही का संपूर्ण संज्ञान था। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट धारा 05 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज योग्य है। धारा 5 के लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वादी अपीलांट द्वारा किये गए कथन विश्वसनीय प्रतीत नही होते हैं। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत

करने की समयावधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 60 दिवस निर्धारित है। अपीलांट वादी को प्रारंभ से ही प्रकरण व निर्णय एवं डिक्री की समुचित जानकारी थी। अपीलांट इतनी लंबी अवधि के विलंब हेतु कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण बताने में असफल रहा है। धारा 05 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में दिया गया कारण पर्याप्त व संतोषजनक नहीं है। अपीलांट ने 10 वर्ष 03 माह 22 दिन पश्चात् अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है। चूंकि अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अतः इस पर आगे और गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2012 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/201

आनन्दीलाल आत्मज श्री मूलचन्द जी जाति बैरवा निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

——अपीलान्ट

बनाम

1. मांगी बाई पुत्री श्री मूलचन्द जी पत्नी उमाशंकर जी जाति बैरवा निवासी डूंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राजस्थान
2. रामस्वरूप आत्मज श्री मूलचन्द जी जाति बैरवा निवासी ग्राम बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
3. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा, राजस्थान

——रेस्पोडेन्ट

वाद संख्या : 50/09

आनन्दीलाल आत्मज मूलचन्द जाति बैरवा निवासी बडोद तहसील दीगोद, कोटा।

——वादी

बनाम

1. मूलचन्द आत्मज मथुरालाल जाति बैरवा निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. आनन्दीलाल आत्मज मूलचन्द जाति बैरवा निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
3. मांगीबाई पुत्री मूलचन्द जाति बैरवा निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
4. रामस्वरूप आत्मज मूलचन्द जाति बैरवा निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, कोटा

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 50/09 में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध उक्त

अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व **डिक्री दिनांक 04.05.2012** त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख **04.08.2023** को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री दयाराम सेन तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2012** बहाल रखा जाता है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख **04.08.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा